दि. 7-9-16

191

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 रेव्यु -9063-I-16

1. गिरधर पुत्र श्री दीनदयाल सिंह
2. छुटगई पुत्र श्री दीनदयाल सिह
3. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री मुरलीधर
4. बाबलू पुत्र स्व. श्री मुरूलीधर सिंह
5. संतू
6. अवनीश

आवेदक क्रमाक 5 व 6 नाबालिग पुत्रगण मुरलीधर, सरपरस्त माँ श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री मुरलीधर, सभी निवासी–अटेर, तहसील अटेर, जिला भिण्ड म.प्र.

........आवेदकगण

बनाम

1- विजय दुबे पुत्र श्री वल्लभराम ब्राम्हण निवासी–खिन्नी गली, गोकुलपुरा मौहल्ला आगरा तहसील व जिला आगरा उ.प्र.

........अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया जाकर गुण दोषो के आधार पर सुनवाई किये जाने बावत्

माननीय न्यायालय

दिनांक 29-8-16 को श्री ओमकार सिंह तोमर अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत।
29-8-16
SO

Presented on 29/08/16
ओमकार सिंह तोमर एडवोकेट

1. यहकि, निगरनीकर्तागण की निगरानी क्रमांक 1696/II/2010 जिला भिण्ड गिरधर बनाम विजय दुबे आदि के नाम से प्रकरण को 25.04.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी निरस्त किया गया है।

2. यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, निगरानीकर्ता द्वारा तहसील अटेर में धारा 290 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि प्रकरण क्रमांक 4/1994–95/अ–46 पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जो कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.1998 द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रकरण को रिमांड/प्रत्यावर्तित किया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2007 के द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई हो जो कि आदेश दिनांक 17.09.2010 को निगरानी निरस्त हुई। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी क्रमांक 1696/II/2010 जिला भिण्ड पंजीबद्ध की गई।

3. यहकि, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण सुनवाई के लिए 25.04.2016 को नियत था जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता के अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है जिसमें निगरानीकर्तागण को तारीख की उपस्थिति के संबंध में जानकारी नही होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। जब वह ग्वालिर अपने अभिभाषक से प्रकरण के बारे में जानकारी ली तब उसे अपने प्रकरण के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.

Rस०मा० 9063-2/16 भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
18.11.16	आवेदक अधि. श्री सुनील आठोन उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्र. R.1596-2/10 पुनः सुनवाई हेतु पुनर्स्थापित किया जाता है। रेस्टोरेशन आवेदन समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य	
R/18		